

पुलिस अधीक्षक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पत्रांक 2104 दिनांक 17.12.2015 द्वारा श्री कौशल किशोर त्रिपाठी, मोटरयान निरीक्षक, कटिहार के विरुद्ध 1,09,10,246/- (एक करोड़ नौ लाख दस हजार दो सौ छियालीस रुपये) का प्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप में भ्र0नि0अधि0, 1988 की धारा- 13(2)-सह-पठित धारा- 13(1)(ई0) के तहत निगरानी थाना कांड संख्या 102/2015 दिनांक 08.12.2015 दर्ज किए जाने संबंधी प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम- 9 (1)(ग) के अन्तर्गत श्री कौशल किशोर त्रिपाठी, मोटरयान निरीक्षक, कटिहार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में श्री त्रिपाठी का मुख्यालय, संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, गया का कार्यालय निर्धारित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में श्री त्रिपाठी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

ह0/-

राज्य परिवहन आयुक्त,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-

पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

राज्य परिवहन आयुक्त,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-

पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, परिवहन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

राज्य परिवहन आयुक्त,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-

पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि: पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 2104 दिनांक 17.12.2015 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

राज्य परिवहन आयुक्त,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 6169

पटना, दिनांक:- 23/12/2015

प्रतिलिपि: जिला पदाधिकारी, कटिहार/संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, ~~पटना~~ कटिहार/संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, गया/जिला परिवहन पदाधिकारी, कटिहार/अवर सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, कटिहार/श्री कौशल किशोर त्रिपाठी, मोटरयान निरीक्षक, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



राज्य परिवहन आयुक्त,  
बिहार, पटना।